

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 13013 / 3697

दिनांक :- 11-7-18

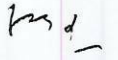
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री प्रकाश चंद कुमावत [लिंक न. 13013] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजसमंद - [1123] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री प्रकाश चंद कुमावत की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 13013 / 3697

दिनांक :- 11-7-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजसमंद
2. कोषाधिकारी राजसमंद
3. श्री /श्रीमती / सुश्री प्रकाश चंद कुमावत [13013] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजसमंद
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12766 / 3698

दिनांक :- 11-7-18

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री हेमंत पाटिदार [लिंक न. 12766] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर - [1288] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री हेमंत पाटिदार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

m 1
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12766 / 3698

दिनांक :- 11-7-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री हेमंत पाटिदार [12766] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

h
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)